

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./60/2023

1. बंदी पुत्र धन्ना जाट जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री महावीर गुर्जर
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा निमेड़ा पटवार क्षेत्र कनेईखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 120 में दर्ज खसरा नं. 181 रकबा 0.19 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी अकिंत की गई। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम निमेड़ा के खाता संख्या 120 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा निमेड़ा पटवार क्षेत्र कनेईखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 120 में दर्ज खसरा नं. 181 रकबा 0.19 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी